रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 530] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 1985/कार्तिक 13, 1907
No. 530] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 1985/KARTIKA 13, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 4 नवम्बर, 1985

का आ 807(अ) —केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय (व्यवहारियों का रजिस्ट्रीकरण और स्टाकों की घोषणा) आदेश, 1984 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् —

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय (व्यवहारियों का रजिस्ट्रीकरण और स्टाकों की घोषणा संशोधन आदेश, 1985 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. चाय (व्यवहारियों का रजिस्ट्रीकरण और स्टाकों की घोषणा) आदेश, 1984 में, पैरा 3 और 4 में, "1000 किलोग्राम" अकों और शब्द के स्थान पर "3000 किलोग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फाइल सं. बी. 11015 (4)/83-संयंत्र-(ए)]

पवन चोपड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 4th November, 1985

S.O. 807(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Tea (Registration of Dealers and Declaration of Stocks) Order, 1984, namely :—

(1) This Order may be called the Tea (Registration of Dealers and Declaration of Stocks) Amendment Order, 1985.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Tea (Registration of Dealers and Declaration of Stocks) Order, 1984, in paragraphs 3 and 4, for the figures and letters "1,000 Kgs.", the figures and letters "3,000 Kgs." shall be substituted.

[File No. B-11015(4)/83-Plant 'A']

PAWAN CHOPRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985